उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-101/2019/1132/92-2-19-45जांच//2014

लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद देवरिया में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना से संबंधित कार्यो में बरती गयी उदासीनता, लापरवाही एवं अधोमानक स्तर पर कराये गये कार्य तथा कार्यो में बरती गयी शिथिलता के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-57/18/ 1483//92-2-18-45जांच/14 दि0 14.06.2018 द्वारा श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-देवरिया सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-फर्रूखाबाद के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परि0-लखनऊ के पत्र दि0 22.11.2018 से अपचारी अधिकारी, श्री श्रीवास्तव को मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दि0 29.11.18 को अवसर प्रदान करते हुये पत्र सं0-3255/ग्रा0 अ0वि0/अनु0जां0/सहा0अभि0/18-19 दि0 21.12.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-लखनऊ की जांच आख्या दि0 21.12.2018 में अपचारी अधिकारी, श्री श्रीवास्तव पर अधिरोपित कुल 06 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित होना नही बताया गया, परन्तु शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी को कार्यो का निरीक्षण/चेकिंग के लिये अनुमन्य मानक पूरा न करने की स्थिति पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-564/92-2-19-45जांच/2014 दि0 26.02.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एव अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-264/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/अभ्या0/19-20 दि0 14.05.19 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- उक्त अभ्यावेदन में अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त अभ्यावेदन में अपचारी अधिकारी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य का निरन्तर निरीक्षण किया जाता रहा है। मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यो की प्रगति बढाने एवं पूर्ण करने के संबंध में ठेकेदारों को निर्देशित भी किया गया था। निरीक्षण के समय परिलक्षित कमियों को तत्काल ठीक करा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एस0क्यू0एम0/एन0क्यू0एम0 द्वारा समय-समय पर किये गये निरीक्षण में निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य को संतोषजनक श्रेणी प्रदान की गयी है।

4- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 श्रीवास्तव को निर्माण कार्यो एवं अनुरक्षण कार्यो में पर्याप्त सजगता न बरतने हेतु उत्तरदायी पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.06.2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें भविष्य में निर्माण कार्यो को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

और अधिक सजग होकर करने हेतु सचेत करते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-101/2019/1132 /(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।

2- श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, पी0आई0यू0-देवरिया सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फर्रूखाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति उनकी सेवापुस्तिका में रखी जाय।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।